न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या–15/2017–18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सविता देवी वगैरह बनाम कृष्णा महतो वगैरह

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

विक्रेता का नाम एवं पता–

(1). सविता देवी, पति–स्व० गंगाधर महतो,
(2). गौतम कुमार चौधरी, पिता–स्व० गंगाधर महतो, एवं
(3). किरीटी भूषण चौधरी, पिता–स्व० राम मोहन महतो,
सभी सा०–गोमदा, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।

जाति–कुरमी।
पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता–

(1). कृष्णा महतो, पिता–देबुराम महतो,
(2). बारणी देवी, पति–श्री जगरन्नाथ महतो,
दोनों सा०–डोमनडीह, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।

जाति–कुरमी।
पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री गिरेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–28/04/2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता (1). कृष्णा महतो, पिता–देबुराम महतो, एवं (2). बारणी देवी, पति–श्री जगरन्नाथ महतो, दोनों सा०–डोमनडीह, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोमदा	सोनाहातु/80	35	793	42 डी०
			790	05 डी०
			कुल विक्रय रकवा–47 डी०	

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राहे के पत्रांक–145(ii) दिनांक–06/03/2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

01. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मोसमात ठाकुरमनी जौजे चेतन दास कौम गोसांई है।

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

02. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध– क्रेता–विक्रेता का संबंध।

03. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम राम मोहन महतो है तथा रैयत के पास कुल रकवा–59 डी० जमीन है।

04. विक्रेता जमीन्दारी रैयत का क्रमशः पुत्रवधु, पोता एवं पुत्र है तथा खरीदगी भूमि के आधार पर जमाबंदी कायम है।

05. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि कायमी किस्म की है।

06. प्रस्तावित जमीन की बिक्री में आवेदक का हिस्सेदारी की अनापत्ति प्राप्त नहीं है।

07. जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014–15 तक वसूली गयी है।

08. प्रस्तावित जमीन की बिक्री वाले क्षेत्र में आवेदक का हिस्सा है।

09. प्रस्तावित जमीन की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 12 डी० **शेष** रह जाएगा।

10. आवेदक शिक्षण कार्य हेतु जमीन की बिक्री करना चाहते हैं।

11. क्रेता विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं तथा दोनों कुरमी जाति के हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता (1). सविता देवी, पति–स्व० गंगाधर महतो, (2). गौतम कुमार चौधरी, पिता–स्व० गंगाधर महतो, एवं (3). किरीटी भूषण चौधरी, पिता–स्व० राम मोहन महतो, सभी सा०–गोमदा, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी को क्रेता (1). कृष्णा महतो, पिता–देबुराम महतो, एवं (2). बारणी देवी, पति–श्री जगरन्नाथ महतो, दोनों सा०–डोमनडीह, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–28/04/2017 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता (1). सविता देवी, पति–स्व० गंगाधर महतो, (2). गौतम कुमार चौधरी, पिता–स्व० गंगाधर महतो, एवं (3). किरीटी भूषण चौधरी, पिता–स्व० राम मोहन महतो, सभी सा०–गोमदा, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी को क्रेता (1). कृष्णा महतो, पिता–देबुराम महतो, एवं (2). बारणी देवी, पति–श्री जगरन्नाथ महतो, दोनों सा०–डोमनडीह, डाकघर–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोमदा	सोनाहातु/80	35	793	42 डी०
			790	05 डी०

कुल विक्रय रकवा–47 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

07/04/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।

07/04/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची।